एलआईसी का न्यू टेक–टर्म सेल्स ब्रोशर

एलआईसी का न्यू टेक-टर्म
(UIN: 512N351V02)
(एक असंबद्ध, असहभागी, वैयक्तिक, विशुद्ध जोखिम प्रीमियम जीवन बीमा योजना)

एलआईसी का न्यू टर्म-टेक एक असंबद्ध, असहभागी, वैयक्तिक, विशुद्ध जोखिम प्रीमियम जीवन बीमा योजना है। यह ऑनलाइन योजना पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध करवाती है। **यह योजना केवल ऑनलाइन ही, सीधे वेबसाइट www.licindia.in से उपलब्ध होगी।**

एलआईसी के न्यू टेक-टर्म की प्रमुख विशेषताएँ :

- दो लाभ विकल्पों में से चुनने की सुविधा : स्थाई बीमा राशि एवं वृद्धिगत बीमा राशि।
- इनमें से चुनने की सुविधा :
  - एकल प्रीमियम, नियमित प्रीमियम एवं सीमित प्रीमियम भुगतान में से चयन
  - पॉलिसी अवधि/प्रीमियम भुगतान अवधि का चयन
  - किस्तों में लाभ के भुगतान का विकल्प
- महिलाओं के लिए विशेष दरें।
- आकर्षक उच्च बीमा राशि छूट का लाभ।
- प्रीमियम दरों की दो श्रेणियाँ – (1) धूम्रपान-अकर्ता दरें एवं (2) धूम्रपान-कर्ता दरें। धूम्रपान-अकर्ता दरों का लागू होना यूरीनरी कोटिनाइन टेस्ट के परिणामों पर आधारित होगा। अन्य सभी मामलों में धूम्रपान-कर्ता दरें लागू होंगी।
- राइडर के लिए अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर दुर्घटना लाभ राइडर को चुनकर अपनी बीमा-सुरक्षा बढ़ाने का विकल्प।

1. लाभ :

एक प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत देय लाभ निम्नानुसार होंगे :

ए. मृत्यु हितलाभ :

जोखिम शुरू होने की तिथि के बाद, लेकिन परिपक्वता की तिथि से पहले, पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, बशर्ते पॉलिसी प्रभावी हो एवं दावा स्वीकार्य हो, देय मृत्यु हितलाभ **"मृत्यु पर बीमा राशि"** होगी।

नियमित प्रीमियम एवं सीमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसी के लिए, **"मृत्यु पर बीमा राशि"** निम्नांकित में से जो भी अधिक है, के रूप में परिभाषित है :

- वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना; या
- मृत्यु होने की तिथि तक चुकाई गई कुल प्रीमियमों का 105%; या
- मृत्यु पर भुगतान की जाने वाली समग्र बीमा राशि।

एकल प्रीमियम पॉलिसी के लिए, "मृत्यु पर बीमा राशि" निम्नांकित में से जो भी अधिक है, के रूप में परिभाषित है :

- एकल प्रीमियम का 125%; या
- मृत्यु पर भुगतान की जाने वाली सुनिश्चित बीमा राशि।

जहाँ,

i. **"वार्षिक प्रीमियम"** एक वर्ष में देय प्रीमियम होगी, जिसमें कर, राइडर प्रीमियम, बीमांकन अतिरिक्त प्रीमियम और मॉडल प्रीमियम के लिए लोडिंग शामिल नहीं होंगे।

ii. **"कुल भुगतान की गई प्रीमियम"** का अर्थ मूल उत्पाद के अंतर्गत भुगतान की गई सभी प्रीमियमों का योग है, जिसमें कोई अतिरिक्त प्रीमियम और कर शामिल नहीं होंगे।

iii. **"एकल प्रीमियम"** देय प्रीमियम की राशि होगी, जिसमें कर, राइडर प्रीमियम, बीमांकन अतिरिक्त प्रीमियम शामिल नहीं होंगे।

iv. **मृत्यु पर अदा की जाने वाली सुनिश्चित बीमा राशि** यह पॉलिसी लेने के समय चुने गए मृत्यु हितलाभ विकल्प पर निर्भर होगी जो इस प्रकार है:

o **विकल्प I:** समान बीमा राशि

मृत्यु पर अदा की जाने वाली सुनिश्चित बीमा राशि, मूल बीमा राशि के बराबर होगी जो पॉलिसी के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।

o **विकल्प II:** बढ़ती हुई बीमा राशि

मृत्यु पर अदा की जाने वाली सुनिश्चित बीमा राशि, पांचवा पॉलिसी वर्ष पूर्ण होने तक मूल बीमा राशि के बराबर रहेगी। उसके बाद, छठे पॉलिसी वर्ष से पंद्रहवे पॉलिसी वर्ष तक इसमें मूल बीमा राशि के 10% की दर से तब तक वृद्धि होती रहेगी जब तक यह मूल बीमा राशि के दो गुना न हो जाए। प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत यह वृद्धि पॉलिसी के अंत तक; अथवा मृत्यु के तारीख तक; अथवा पंद्रहवें पॉलिसी वर्ष तक और उसके पश्चात (इनमें से जो भी पहले हो) जारी रहेगी। सोलहवें पॉलिसी वर्ष से, मृत्यु पर अदा की जाने वाली सुनिश्चित बीमा राशि स्थिर अर्थात पॉलिसी अवधि समाप्त होने तक मूल बीमा राशि के दो गुना रहेगी।

उदाहरण के लिए, रु.X की मूल बीमा राशि वाली पॉलिसी के अंतर्गत, मृत्यु पर देय सुनिश्चित बीमा राशि पाँचवे पॉलिसी वर्ष के अंत तक रु.X, छठे पॉलिसी वर्ष में रु. 1.1X, सातवें पॉलिसी वर्ष में रु. 1.2X होगी और इसी प्रकार मूल बीमा राशि के 10% प्रति वर्ष की दर से तब तक बढ़ती रहेगी जब तक पंद्रहवे पॉलिसी वर्ष में यह 2X न हो जाए। सोलहवें पॉलिसी वर्ष और उस के पश्चात, मृत्यु पर देय सुनिश्चित बीमा राशि 2X ही होगी।

एक बार चुने जाने के बाद मृत्यु हितलाभ के विकल्प में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

बी. परिपक्वता लाभ :

पॉलिसी अवधि के समाप्त होने तक बीमित व्यक्ति के उत्तरजीवित रहने पर, कोई परिपक्वता लाभ देय नहीं है।

2. पात्रता शर्तें एवं अन्य प्रतिबंध :

ए)	प्रवेश पर न्यूनतम आयु	:	[18] वर्ष (पिछला जन्मदिन)
बी)	प्रवेश पर अधिकतम आयु	:	[65] वर्ष (पिछला जन्मदिन)
सी)	परिपक्वता पर अधिकतम आयु	:	[80] वर्ष (पिछला जन्मदिन)
डी)	न्यूनतम मूल बीमा राशि	:	रु.50,00,000/-.
ई)	अधिकतम मूल बीमा राशि	:	कोई सीमा नहीं* बीमांकन निर्णय के अनुसार

* प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुमत अधिकतम मूल बीमा राशि, बोर्ड द्वारा अनुमोदित बीमांकन नीति के अनुसार बीमांकन निर्णय के अधीन होगी।

मूल बीमा राशि इनके गुणज में होगी:

रु. 5,00,000/- यदि पॉलिसी के लिए मूल बीमा राशि रु. 50,00,000/- से रु.75,00,000/- है।

रु. 25,00,000/-, यदि पॉलिसी के लिए मूल बीमा राशि रु. 75,00,000/- से अधिक है।

एफ) पॉलिसी अवधि

– पॉलिसी की न्यूनतम अवधि : 10 वर्ष

– पॉलिसी की अधिकतम अवधि :

i) एक समान (लेवल) बीमा राशि मृत्यु हितलाभ विकल्प के अंतर्गत : 40 वर्ष। पॉलिसी की अधिकतम अवधि परिपक्वता पर अधिकतम आयु के अधीन होगी।

ii) वृद्धिगत बीमा राशि मृत्यु हितलाभ विकल्प के अंतर्गत : पॉलिसी की अधिकतम अवधि आयु और मूल बीमा राशि बंध पर आधारित होगी और निम्नानुसार होगी।

नियमित/सीमित प्रीमियम के अंतर्गत :

आयु बंध	रू. 50 लाख से रू. 1 करोड़ से कम	आयु बंध	रू. 1 करोड़ से रू. 2 करोड़ से कम	आयु बंध	रू. 2 करोड़ और उससे अधिक
18–27	40	18–65	परिपक्वता पर अधिकतम आयु के अधीन 40 वर्ष	18–65	परिपक्वता पर अधिकतम आयु के अधीन 40 वर्ष
28–36	35				
37–42	33				
43–65	परिपक्वता पर अधिकतम आयु के अधीन 40 वर्ष				

एकल प्रीमियम के अंतर्गत :

आयु बंध	रू. 50 लाख से रू. 1 करोड़ से कम	आयु बंध	रू. 1 करोड़ से रू. 2 करोड़ से कम	आयु बंध	रू. 2 करोड़ और उससे अधिक
18–24	40	18–28	40	18–65	परिपक्वता पर अधिकतम आयु के अधीन 40 वर्ष
25–27	35	29–30	38		
28–46	31	31–65	परिपक्वता पर अधिकतम आयु के अधीन 40 वर्ष		
47–65	परिपक्वता पर अधिकतम आयु के अधीन 40 वर्ष				

जी) प्रीमियम भुगतान अवधि :

नियमित प्रीमियम : पॉलिसी अवधि के समान

सीमित प्रीमियम : पॉलिसी अवधि (10 से 40) वर्ष के लिए (पॉलिसी अवधि में से घटाएँ 5) वर्ष

: पॉलिसी अवधि (15 से 40) वर्ष के लिए (पॉलिसी अवधि में से घटाएँ 10) वर्ष

एकल प्रीमियम : लागू नहीं

3. उपलब्ध विकल्प :

I. वैकल्पिक राइडर :

पॉलिसी धारक के पास प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके नियमित प्रीमियम एवं सीमित प्रीमियम भुगतान विधि के अंतर्गत एलआईसी का दुर्घटना लाभ राइडर (UIN:512B203V03) लेने का विकल्प होता है, बशर्ते बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम पाँच वर्ष हो। इस राइडर के अंतर्गत बीमा-रक्षित लाभ केवल प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान, या उस पॉलिसी वर्षगाँठ, जिस पर बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मतिथि 70 वर्ष है, जो भी पहले हो, तक ही उपलब्ध होंगे। यदि यह राइडर चुना जाता है तो दुर्घटनावश मृत्यु होने की स्थिति में, मूल योजना के अंतर्गत मृत्यु लाभ के साथ दुर्घटना लाभ राइडर बीमा राशि एकमुश्त राशि के रूप में देय होगी।)

इस राइडर के अंतर्गत प्रीमियम, मूल योजना के अंतर्गत प्रीमियम के 30% से अधिक नहीं होगी। दुर्घटना लाभ बीमा राशि इस पॉलिसी के अंतर्गत मूल बीमा राशि से तीन गुना अधिक नहीं होगी।

इस राइडर के बारे में अधिक जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर राइडर विवरणिका देखें।

II. मृत्यु हितलाभ किस्तों में लेने का विकल्प :

यह विकल्प प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत, मृत्यु हितलाभों को एकमुश्त लेने की बजाय 5 या 10 या 15 वर्ष की चुनी गई अवधि में किश्तों में लेने का विकल्प है। पॉलिसी के अंतर्गत देय पूर्ण या आंशिक मृत्यु हितलाभों के लिए केवल बीमित व्यक्ति द्वारा ही अपने जीवनकाल में इस विकल्प का चयन किया जा सकता है। बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात् निवल दावा राशि) या तो सुनिश्चित मूल्य के रूप में हो सकती है अथवा कुल देय दावा प्राप्तियों के कुछ प्रतिशत के रूप में।

किए गए चयन के अनुसार, किश्तों का अग्रिम भुगतान वार्षिक या अर्ध-वार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर किया जाएगा और विभिन्न प्रकार के भुगतानों के लिए किश्त की न्यूनतम राशि निम्न प्रकार होगी:

किस्त भुगतान की विधि	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु. 5000/-
त्रैमासिक	रु. 15000/-
अर्ध-वार्षिक	रु. 25000/-
वार्षिक	रु. 50000/-

यदि बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार वांछित राशि, न्यूनतम किश्त की राशि से कम है तो दावे की प्राप्तियों का भुगतान एकमुश्त ही किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किश्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किश्त की राशि पर पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी, जो 10 वर्ष अर्ध-वार्षिक जी-सेक यील्ड में से 2% कम करके, उससे कम नहीं होगी; जहाँ, 10 वर्ष अर्ध-वार्षिक जी-सेक यील्ड पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यवसायिक दिन के अनुसार होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2022 से शुरू होकर 30 अप्रैल, 2023 तक की 12 महीने की अवधि के लिए, किश्त राशि की गणना के लिए लागू ब्याज दर 4.84% प्रति वर्ष प्रभावी होगी।

किस्तों में मृत्यु हितलाभ प्राप्त करने हेतु विकल्प का उपयोग करने के लिए, बीमित व्यक्ति अपने जीवनकाल के दौरान पॉलिसी के दौरान इस विकल्प का उपयोग कर सकता है, किस्त भुगतान की अवधि एवं निवल दावा राशि, जिसके लिए उस विकल्प का उपयोग कर सकता है। तब मृत्यु दावा राशि का भुगतान पॉलिसीधारक/जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए विकल्प के अनुसार नामांकित व्यक्ति को किया जाएगा और नामांकित व्यक्ति को इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

4. प्रीमियमों का भुगतान :

इस योजना के अंतर्गत नियमित प्रीमियम, सीमित प्रीमियम या एकल प्रीमियम भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं। नियमित एवं सीमित प्रीमियम भुगतान के मामले में, प्रीमियम का भुगतान नियमित रूप से पॉलिसी भुगतान अवधि के दौरान प्रीमियम भुगतान की वार्षिक या अर्ध–वार्षिक विधियों से किया जा सकता है।

देय राशि बीमित होने वाले व्यक्ति की प्रवेश पर आयु, धूम्रपान की स्थिति, लिंग, पॉलिसी अवधि, प्रीमियम भुगतान अवधि एवं चयनित बीमा राशि विकल्प पर निर्भर होगी। एकल प्रीमियम के अंतर्गत न्यूनतम प्रीमियम रु. 30,000/– होगी। नियमित एवं सीमित प्रीमियम विधि के अंतर्गत, न्यूनतम प्रीमियम रु. 3,000/– होगी।

5. अनुग्रह अवधि (नियमित एवं सीमित प्रीमियम भुगतान के लिए लागू) :

वार्षिक या अर्ध–वार्षिक प्रीमियमों के भुगतान के लिए भुगतान न हुई प्रथम प्रीमियम की तिथि से 30 दिनों तक की एक अनुग्रह अवधि होगी। इस अवधि के दौरान पॉलिसी को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार बिना किसी रुकावट के जोखिम बीमा सुरक्षा के साथ प्रभावी माना जाएगा।

यदि अनुग्रह अवधि के दिन पूरे होने से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी.

उपर्युक्त छूट अवधि उन राइडर प्रीमियमों पर भी लागू होगी, जो मूल बीमा पॉलिसी प्रीमियम के साथ ही देय होते हैं।

ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत भुगतान न हुई प्रथम प्रीमियम की तिथि से अनुग्रह अवधि के समाप्त होने के बाद सभी लाभ स्थगित हो जाएँगे और कुछ भी देय नहीं होगा।

6. नमूने के लिए उदाहरणार्थ प्रीमियम :

विभिन्न प्रीमियम भुगतान विकल्पों के अंतर्गत धूम्रपान–अकर्ता, पुरुष, मानक जीवन के लिए रु. 1 करोड़ की मूल बीमा राशि हेतु विकल्प I (स्थाई बीमा राशि) एवं विकल्प II (वृद्धिगत बीमा राशि), दोनों के लिए नमूने की उदाहरणार्थ प्रीमियमें निम्नानुसार हैं :

विकल्प I (स्थाई बीमा राशि):

आयु (पिछला जन्मदिन)	पॉलिसी अवधि	नियमित वार्षिक प्रीमियम (रु. में)	(पॉलिसी अवधि में से 5 घटाकर) वर्षों की सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम (रु. में)	(पॉलिसी अवधि में से 10 घटाकर) वर्षों की सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम (रु. में)	एकल प्रीमियम (रु. में)
20	20	7,047	8,091	10,266	75,603
30	20	9,135	10,527	13,572	1,00,833
40	20	17,889	20,737	26,878	2,03,187

उपरोक्त प्रीमियमों में कर शामिल नहीं हैं।

विकल्प II (वृद्धिगत बीमा राशि) :

आयु (पिछला जन्मदिन)	पॉलिसी अवधि	नियमित वार्षिक प्रीमियम (रु. में)	(पॉलिसी अवधि में से 5 घटाकर) वर्षों की सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम (रु. में)	(पॉलिसी अवधि में से 10 घटाकर) वर्षों की सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम (रु. में)	एकल प्रीमियम (रु. में)
20	20	9,345	10,769	13,795	1,02,617
30	20	13,083	15,219	19,669	1,47,562
40	20	27,846	32,396	42,224	3,20,684

उपरोक्त प्रीमियमों में कर शामिल नहीं हैं।.

7. छूट/लोडिंग :

निम्नांकित छूटें/लोडिंग लागू होंगे :

(i) उच्च बीमा राशि छूट (नियमित, सीमित एवं एकल प्रीमियम भुगतान के लिए लागू) :

उच्च बीमा राशि छूटें निम्नानुसार हैं :

ए) विकल्प I के अंतर्गत : स्थाई बीमा राशि

आयु बंधन (एलबीडी)	उच्च बीमा राशि छूट, तालिकाबद्ध वार्षिक/एकल प्रीमियम के प्रतिशत % के रूप में		
	रु. 1 करोड़ से कम	रु. 1 करोड़ से लेकर रु. 2 करोड़ से कम	रु. 2 करोड़ और उससे अधिक
30 वर्ष तक	शून्य	13%	22%
31 से 50 वर्ष	शून्य	11%	17%
51 वर्ष और उससे अधिक	शून्य	6%	9%

बी) विकल्प II के अंतर्गत : वृद्धिगत बीमा राशि

आयु बंधन (एलबीडी)	उच्च बीमा राशि छूट, तालिकाबद्ध वार्षिक/एकल प्रीमियम के प्रतिशत % के रूप में		
	रु. 1 करोड़ से कम	रु. 1 करोड़ से लेकर रु. 2 करोड़ से कम	रु. 2 करोड़ और उससे अधिक
30 वर्ष तक	शून्य	11%	20%
31 से 50 वर्ष	शून्य	9%	15%
51 वर्ष और उससे अधिक	शून्य	5%	8 %

(ii) मोडल लोडिंग (नियमित एवं सीमित प्रीमियम भुगतान के लिए लागू) :

विधि	लोडिंग, तालिकाबद्ध वार्षिक प्रीमियम के एक % के रूप में
वार्षिक	शून्य
अर्ध –वार्षिक	2%

8. पुनर्चलन :

यदि अनुग्रह अवधि के भीतर प्रीमियमों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। एक कालातीत पॉलिसी को भुगतान नहीं की गई पहली प्रीमियम की तिथि से क्रमागत 5 पूर्ण वर्षों की अवधि के भीतर पुनर्चलित करवाया जा सकता है। समय–समय पर निगम द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर पर ब्याज (अर्ध–वार्षिक चक्रवृद्धि) सहित प्रीमियम के सभी बकाया के भुगतान पर एवं जानकारियों, दस्तावेजों और प्रतिवेदनों, जो पहले से उपलब्ध हैं और इस संबंध में कोई अतिरिक्त जानकारियों, यदि और जैसे भी पुनर्चलन के समय पर निगम की बीमांकन नीति के अनुरूप आवश्यक हो सकती हैं, जो कि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाती है, के आधार पर बीमित व्यक्ति की निरंतर बीमा योग्यता की संतुष्टि पर पुनर्चलन प्रभावी होगा।

निगम द्वारा किसी बंद पॉलिसी के पुनर्चलन को मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों के साथ स्वीकार करने या उसे अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है। बंद हो चुकी पॉलिसी का पुनर्चलन तभी प्रभावी होगा, जब निगम द्वारा उसे अनुमोदित एवं स्वीकृत कर लिया जाता है और पुनर्चलन की रसीद जारी कर दी जाती है।

इस उत्पाद के अंतर्गत 1 मई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 महीने की अवधि के लिए पुनर्चलन के लिए लागू ब्याज की दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यवसायिक दिन के अनुसार 10 वर्ष जी–सेक दर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्ध–वार्षिक एवं 3% के योग या निगम के असंबद्ध, असहभागी फंड पर अर्जित लाभ एवं 1% के योग में से जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के लिए लागू ब्याज दर 9.50% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि होगी। पॉलिसी के पुनर्चलन के लिए ब्याज दर के निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

यदि किसी कालातीत पॉलिसी को पुनर्चलन अवधि के भीतर, पर परिपक्वता की तिथि से पहले पुनर्चलित नहीं करवाया जाता है, तो पॉलिसी स्वत: समाप्त हो जाएगी। नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के मामले में, कुछ भी देय नहीं होगा। हालाँकि सीमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसियों के मामले में, अभ्यर्पण की स्थिति में देय अनुसार राशि लौटाई जाएगी और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

राइडर का पुनर्चलन, यदि इसे चुना जाता है, मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ ही माना जाएगा, अलग से नहीं।

9. चुकता :

इस योजना के अंतर्गत कोई चुकता मूल्य उपलब्ध नहीं है।

10. अभ्यर्पण :

इस योजना के अंतर्गत कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा। हालाँकि, निम्नलिखित स्थितियों में पॉलिसी के अभ्यर्पण पर (लेवल बीमा राशि (विकल्प ।) और वृद्धिगत बीमा राशि (विकल्प ।।) दोनों विकल्पों के लिए), अकालातीत जोखिम प्रीमियम मूल्य के बराबर राशि, यदि कोई हो, देय होगी :

ए) नियमित प्रीमियम वाली पॉलिसियाँ : कुछ भी देय नहीं होगा।

बी) एकल प्रीमियम वाली पॉलिसियाँ : लागू जोखिम प्रीमियम मूल्य, यदि कोई हो, जिसकी समय–सीमा समाप्त नहीं हुई है, पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय देय होगा।

सी) सीमित प्रीमियम भुगतान : लागू जोखिम प्रीमियम मूल्य, यदि कोई हो, जिसकी समय–सीमा समाप्त नहीं हुई है, केवल तभी देय होगा यदि कम से कम पूर्ण प्रीमियम का भुगतान किया गया हो :

i) प्रीमियम भुगतान अवधि 10 वर्ष से कम होने की स्थिति में दो क्रमागत वर्ष।

ii) प्रीमियम भुगतान अवधि 10 वर्ष या उससे अधिक होने की स्थिति में तीन क्रमागत वर्ष।

कालातीत पॉलिसी की स्थिति में, पुनर्चलन अवधि के दौरान पॉलिसी का अभ्यर्पण करने पर, लागू अकालातीत जोखिम प्रीमियम मूल्य, यदि कोई हो, देय होगा। हालाँकि, पुनर्चलन अवधि की समाप्ति पर, पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और अकालातीत जोखिम प्रीमियम मूल्य, यदि कोई हो, का पॉलिसीधारक को भुगतान किया जाएगा। कालातीत पॉलिसी के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, पुनर्चलन अवधि के दौरान, लागू अकालातीत जोखिम प्रीमियम मूल्य, यदि कोई हो, देय होगा।

11. पॉलिसी ऋण:

इस योजना के अंतर्गत कोई ऋण उपलब्ध नहीं होगा।

12. कुछ स्थितियों में जब्ती :

यह पाए जाने पर कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरण, घोषणापत्र और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत कथन है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई है, तो ऐसे प्रत्येक मामले में पॉलिसी शून्य हो जाएगी और इसके आधार पर किसी भी हितलाभ के सभी दावे समय–समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

13. पॉलिसी की समाप्ति :

निम्नलिखित में से सबसे पहले कोई भी स्थिति घटित होने पर, पॉलिसी तुरंत और स्वतः ही समाप्त हो जाएगी:

ए) वह तिथि, जिस पर मृत्यु हितलाभ का एकमुश्त भुगतान/अंतिम किश्त का भुगतान किया गया हो; या

बी) वह तिथि जिस पर पॉलिसी के अभ्यर्पण की स्थिति में, अकालातीत जोखिम प्रीमियम मूल्य, यदि कोई हो, का निपटान किया जाता है; या

सी) परिपक्वता तिथि पर; या

डी) पुनर्चलन की अवधि समाप्त होने पर, यदि पॉलिसी पुनः प्रचलित न की गयी हो; या

ई) निःशुल्क अवलोकन निरस्तीकरण की राशि का भुगतान हो जाने पर।

एफ) पैरा 12 में निर्दिष्टानुसार जब्ती की स्थिति में।

14. कर :

भारत सरकार या किसी अन्य संवैधानिक भारतीय कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर आरोपित वैधानिक कर, यदि कोई हो, कर कानूनों के अनुसार होंगे और कर की दर समय–समय पर लागू अनुसार होगी।

प्रीमियमों पर पॉलिसीधारक द्वारा प्रचलित दरों के अनुसार लागू करों की राशि (मूल पॉलिसी और राइडरों के लिए, यदि कोई हो) अतिरिक्त प्रीमियम सहित, यदि कोई हो, देय होगी, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम के अतिरिक्त अलग से वसूल किया जाएगा। भुगतान किए गए कर की राशि को योजना के अंतर्गत देय किसी भी लाभ की गणना के लिए नहीं माना जाएगा।

आयकर लाभों/भुगतान की गई प्रीमियम(मों) पर निहितार्थों एवं इस योजना के अंतर्गत देय लाभों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

15. निशुल्क अवलोकन (फ्री लुक) अवधि :

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के ''नियमों और शर्तों'' से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी दस्तावेज़ के इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से प्राप्त होने, जो भी पहले हो, की तिथि से 30 दिनों के भीतर, आपत्तियों के कारण बताते हुए निगम को पॉलिसी वापस की जा सकती है। इसकी प्राप्ति पर, निगम द्वारा पॉलिसी निरस्त कर दी जाएगी और बीमा सुरक्षा की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल योजना और हितलाभ, यदि कोई हो, के लिए), चिकित्सीय परीक्षण, (विशेष रिपोर्टों सहित, यदि कोई हों,) पर हुए व्ययों और स्टाम्प शुल्क प्रभारों की कटौती करने के बाद जमा की गई प्रीमियम की राशि वापस लौटा दी जाएगी।

16. आत्महत्या अपवर्जन :

(i) एकल प्रीमियम पॉलिसी के अंतर्गत :

यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) द्वारा जोखिम शुरू होने की तिथि से 12 महीने के भीतर किसी भी समय आत्महत्या की जाती

है, तो बीमित व्यक्ति के नामित या लाभार्थी को भुगतान की गई एकल प्रीमियम के 80% को पाने की पात्रता होगी।

(ii) नियमित/सीमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसी :

यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) जोखिम आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि से, जैसा भी लागू हो, से 12 महीने के भीतर किसी भी समय आत्महत्या कर लेता है, तो बीमित व्यक्ति का नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम का 80% पाने का अधिकारी होगा, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो।

यह अनुच्छेद कालातीत होने वाली पॉलिसी के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं है।

टिप्पणी : उपरोक्त एकल प्रीमियम/प्रीमियम में कोई कर, अतिरिक्त प्रीमियम एवं राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल नहीं होंगे।

17. शिकायत निवारण प्रणाली:

निगम की:

ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए निगम के शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केन्द्रीय कार्यालय में शिकायत समाधान अधिकारी (जीआरओ हैं। ग्राहक जीआरओ के नाम और संपर्क संबंधी विवरणों और शिकायतों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट (https://licindia.in/web/guest/grievances) पर विज़िट कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायत का शीघ्र समाधान करने के लिए निगम ने अपने कस्टमर पोर्टल (वेबसाइट) http://www.licindia.in के माध्यम से ग्राहकोन्मुखी एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रस्तुत की है, जिसके माध्यम से पंजीकृत पॉलिसी धारक अपनी शिकायत को सीधे दर्ज करवा सकते हैं तथा उसकी स्थिति को देख भी सकते हैं। ग्राहक अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए ई–मेल आईडी co_complaints@licindia.com पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

जो भी दावाकर्ता मृत्यु दावे के इनकार के निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं, उनके पास अपना प्रकरण समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति या केन्द्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति के पास भेजने का विकल्प होता है। एक सेवा–निवृत्त उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय न्यायाधीश प्रत्येक दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य होता है।

आईआरडीएआई की:

यदि ग्राहक जवाब से संतुष्ट नहीं है या 15 दिनों के भीतर हमसे कोई जवाब नहीं मिलने पर ग्राहक द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

i) टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (अर्थात आईआरडीएआई के शिकायत कॉल सेन्टर–बीमा भरोसा य शिकायत निवारण केंद्र) कॉल करके

ii) complaints@irdai.gov.in पर ई–मेल प्रेषित करके

iii) https://bimabharosa.irdai.gov.in/पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके

iv) कूरियर/पत्र के जरिए शिकायत भेजने का पता:

महाप्रबंधक, पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे सं. 115/1, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, गाचीबावली, हैदराबाद – 500 032, तेलंगाना।

लोकपाल की:

दावा संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए, दावाकर्ता बीमा लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं, जहाँ ग्राहकों को कम से कम लागत में त्वरित निर्णय मिलता है।

18. एलआईसी के न्यू टेक-टर्म को कैसे खरीदें :

एलआईसी के न्यू टेक-टर्म को ऑनलाइन खरीदने हेतु चरण-दर-चरण प्रक्रिया :

1) इस ऑनलाइन उत्पाद को खरीदने के लिए हमारी वेबसाइट (www.licindia.in) पर लॉग-ऑन करें। 'पॉलिसियाँ ऑनलाइन खरीदें' क्लिक करें। एलआईसी की न्यू टेक-टर्म योजना चुनें।

2) 'ऑनलाइन खरीदें' पर क्लिक करें। अपनी इच्छित बीमा राशि का विकल्प (स्थाई/वृद्धिगत), पॉलिसी अवधि, प्रीमियम भुगतान विकल्प (नियमित/सीमित/एकल) तथा नियमित एवं सीमित प्रीमियम भुगतान विकल्प के लिए प्रीमियम भुगतान विधि (वार्षिक/अर्ध-वार्षिक), जन्मतिथि, लिंग एवं धूम्रपान की स्थिति को चुनें।

3) उक्त सभी विवरण प्रदान करने के पश्चात, एक प्रीमियम कैल्कुलेटर द्वारा चयनित मानदंडों के लिए प्रीमियम की गणना की जाएगी।

4) स्क्रीन पर प्रदर्शित अन्य विवरण, जैसे नाम, पता, व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता आदि प्रविष्ट करें और प्रस्ताव प्रपत्र को ऑनलाइन पूर्ण करें।

5) प्रीमियम का ऑनलाइन भुगतान करें और बीमांकन आवश्यकताएँ, यदि कोई हों, पूर्ण करें।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45

समय-समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे। वर्तमान प्रावधान इस प्रकार है:

(1) पॉलिसी की तिथि, यानी पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी पर हितलाभ की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के पश्चात जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर किसी भी आधार पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

(2) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के हितलाभ की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के भीतर किसी भी समय प्रश्न उठाया जा सकता है।

बशर्ते, बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को ऐसे आधारों एवं तथ्यों की लिखित सूचना देनी होगी, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

स्पष्टीकरण । : इस उप-धारा के उद्देश्य से, अभिव्यक्ति "धोखाधड़ी" से आशय बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने, या बीमाकर्ता को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु प्रभावित करने की मंशा से निम्नांकित में से कोई भी कृत्य किया जाता है:

(ए) सुझाव, उस बारे में एक तथ्य के रूप में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

(बी) उस बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, और उसे ऐसे तथ्य का ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

(सी) धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

(डी) ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित हो।

स्पष्टीकरण ।। : बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में सिर्फ चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता का यह कर्तव्य है, बोलने से चुप रहना, या अन्यथा उसकी खामोशी, अपने आप में बोलने के बराबर हो।

(3) उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धोखाधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है, अगर बीमित व्यक्ति/ लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी और उसने जान–बूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की या कथित गलतबयानी या महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था:

बशर्ते धोखाधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर है अगर पॉलिसीधारक जीवित नहीं है।

स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति जो बीमा की अनुबन्ध का आग्रह और उसकी सौदेबाजी करता है, उसे संविदा के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का अभिकर्ता माना जाएगा।

(4) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी करने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय, इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्ताव प्रपत्र में या किसी अन्य दस्तावेज में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चलित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था:

बशर्ते बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह निर्णय लिया गया है।

बशर्ते महत्त्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोखाधड़ी की स्थिति न होने पर, अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा की गई सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितियों को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप–धारा के प्रयोजन हेतु, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकर्ता का होगा कि अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह बीमित व्यक्ति को यह जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करता।

(5) इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण माँगने से नहीं रोकती है, अगर वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पॉलिसी पर केवल इसलिए प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की उम्र को सबूत के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था।

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का धारा 41):

1) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ती से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के बारे

में कोई बीमा लेने या उसका नवीनीकरण करवाने या उसे जारी रखने, देय कमीशन में से संपूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट देने या पॉलिसी पर दर्शाई गई प्रीमियम में से कोई भी छूट देने की अनुमति नहीं होगी या अनुमति प्रस्तावित नहीं होगी और न ही कोई व्यक्ति तब तक किसी तरह की छूट स्वीकार करके कोई पॉलिसी नहीं लेगा या उसका नवीनीकरण नहीं करवाएगा या उसे जारी नहीं रखेगा, जब तक कि ऐसी छूट बीमाकर्ता की तालिका या प्रकाशित विवरणिका के अनुसार मान्य न हो।

2) इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने से चूक करने वाला व्यक्ति अर्थदंड का भागी होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

एलआईसी पर लागू होने वाले, बीमा अधिनियम, 1938 के विभिन्न धारा, समय–समय पर यथा संशोधित।

यह उत्पाद विवरणिका इस योजना की केवल प्रमुख विशेषताएँ ही बताती है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय पर संपर्क करें।

पॉलिसी ऑनलाइन खरीदने के लिए, कृपया www.licindia.in पर लॉग ऑन करें।

कपटपूर्ण फोन कॉल और नकली/धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्तावों से सावधान रहें।

आईआरडीएआई या इनके कर्मचारी बीमा व्यवसाय जैसे कि बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बोनस की घोषणा या प्रीमियम्स के निवेश, राशियां लौटाना जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं। जिन पॉलिसीधारकों या संभावित ग्राहकों को ऐसे फ़ोन कॉल्स मिलें, वे कृपया पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करें।

भारतीय जीवन बीमा निगम

''भारतीय जीवन बीमा निगम'' की स्थापना 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जीवन बीमा का विस्तार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के उद्देश्य के साथ की गई थी, जिससे कि यह देश के हर बीमा योग्य व्यक्ति तक पहुंच सके और उसे बीमा योग्य घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सके। भारतीय बीमा उद्योग के उदारीकरण के बाद भी एलआईसी निरतंर एक महत्त्वपूर्ण बीमा कंपनी की भूमिका निभा रहा है तथा अपने पुराने कीर्तिमानों को पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने अस्तित्व के छः दशकों को पार करते हुए एलआईसी अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ निरंतर अग्रसर है।

पंजीकृत कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम,

केन्द्रीय कार्यालय,

योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई – 400021.

वेबसाइट: www.licindia.in

पंजीकरण संख्या: 512